संख्या-166/2015/3441/41-15-25 यो0/2012

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में सलखन फासिल पार्क एवं लेखनिया पेन्टिंग के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1341/6-1-1(470)/सोनभद्र/2015, दिनांक 05-09-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में सलखन फासिल पार्क एवं लेखनिया पेन्टिंग के पर्यटन विकास की योजना हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलत धनराशि रू0 206.94 लाख की प्रशासकीय एवं धनराशि रू0 103.47 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1918/41/2012-25 यो0/12 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में प्रदान की जा चुकी है।

3- महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 206.94 लाख की अवशेष धनराशि रू0 103.47 लाख में से रू0 21.66 लाख कम करते हुए कुल रू0 81.81 लाख की मांग की गयी है। अत: उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद सोनभद्र में सलखन फासिल पार्क एवं लेखनिया पेन्टिंग के पर्यटन विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित धनराशि रू0 185.28 लाख (रूपये एक करोड पच्चासी लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं अवशेष धनराशि द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 81.81 लाख (रूपये इक्यासी लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में विशेष ध्यान दिया जाय तथा जिलाधिकारी सोनभद्र से रिपोर्ट प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायी जायगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को_ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
7. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-166/2015/3441(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in